# भारतीय रिज़र्व बैंक के सेवा में रहते हुए दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा - उपदान के भुगतान संबंधी नियमावली

[नवम्बर 2018 तक अपडेट]

# सेवा में रहते हुए दिवंगत भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के संबंध में अनुकंपा- उपदान के भुगतान संबंधी नियमावली

1. (i) **<u>पात्रता</u>**: सेवा में रहते हुए दिवंगत बैंक के प्रत्येक पूर्ण-कालिक कर्मचारी ( तथा अंशकालिक कर्मचारी जिसने 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो) का आश्रित अनुकंपा- उपदान के लिए पात्र होगा। यह उपदान ऐसे आश्रित को किसी अन्य अधिवर्षिता हितलाभ के अतिरिक्त होगा।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली के विनियम 15 के अनुसार कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति या जिसे उक्त विनियमावली के विनियम 20(iii) के तहत नामित किया हुआ माना जाए, उसे अनुकंपा उपदान का भुगतान किया जाएगा; और यदि इस प्रकार नामित या नामित माने गए व्यक्ति एक से अधिक हैं तो अनुकंपा उपदान की राशि उसी अनुपात में वितरित की जाएगी जिसमें कर्मचारी ने भविष्य निधि में अपनी जमा राशि को वितरित किया है।

यदि कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली 1935 के अंतर्गत नहीं आता है, तो उपदान भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुकंपा उपदान उसी अनुपात में देय होगा जिसमें कर्मचारी ने नामांकन में दर्शाया हो।

ऐसे मामलों में जहां नामनिर्देशन नहीं किया गया है अथवा जारी नहीं रहता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत आश्रित या आश्रितों को निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार आश्रित या आश्रितों द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर इस प्रयोजन के लिए अनुकंपा-उपदान प्रदान किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को आश्रित के रूप में स्वीकृत किया जाता है, अनुकंपा उपदान की राशि ऐसे व्यक्तियों के बीच सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुपात में वितरित की जाएगी।

**<u>स्पष्टीकरण - 1</u>**: इस नियम में "आश्रित" शब्द का अर्थ दिवंगत कर्मचारी के कोई भी निम्नलिखित रिश्तेदार अर्थात पत्नी, पति, माता/पिता, संतान, अवयस्क भाई, अविवाहित बहन तथा दिवंगत पुत्र की विधवा एवं संतान और जहां दिवंगत कर्मचारी के माता / पिता जीवित नहीं है, तो दादा/दादी होगा।

**<u>स्पष्टीकरण - 2</u>**: इस नियम में 'सक्षम प्राधिकारी' शब्द का अर्थ वही होगा जो रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 के विनियम 3 के उप-नियम (ङ) में निर्धारित किया गया है।

**2. <u>अनुकंपा-उपदान की राशि</u>** : न्यूनतम 25,000/- रुपए के अधीन, मृत्यु की तारीख को दिवंगत कर्मचारी द्वारा धारित ग्रेड में उनको स्वीकार्य दो महीने के वेतन और भत्तों की समतुल्य राशि।

**<u>टिप्पणी:</u>** ऐसे मामलों में जहां ड्यूटि की सामान्य अपेक्षाओं से बाहर निष्पादित कुछ कार्रवाई के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप कोई कर्मचारी मारा जाता है या स्थाई रूप से अशक्त हो जाता है अथवा किसी सामान्य ड्यूटि के निष्पादन के प्रत्यक्ष परिणाम में ऐसी मृत्यु या दुर्घटना घटित होती है, केंद्रीय बोर्ड की समिति द्वारा उच्चतर राशि स्वीकृत की जा सकती है।

**3. <u>भुगतान</u>**: उपर्युक्त नियम 1 में प्रावधान किए गए अनुसार पात्र व्यक्ति/यों को अनुकंपा उपदान की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

पत्ता_____

_____

दिनांक :_____

_____

भारतीय रिज़र्व बैंक

_____

महोदय,

अनुकंपा-उपदान प्रदान करना

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक, _____ के _____ विभाग में _____ ____ के रूप में नियोजित श्री/श्रीमती/कुमारी _____ की मृत्यु _____ को _____ की वजह से हुई है, इसलिए अनुरोध है कि उनसे सबंधित अनुकंपा उपदान का भुगतान मुझे किया जाए।

2. मैं दिवंगत कर्मचारी का / की _____ (संबंध का उल्लेख कीजिए) हूं तथा दिवंगत कर्मचारी ने मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली, 1935 के अंतर्गत अपने भविष्य निधि में / उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपने उपदान में (जो लागू नहीं उसे कांटे) शेष राशि प्रपट करने के लिए नामित किया है।

3. मैं यह वचन देता/ देती हूं कि समुचित प्राधिकरण (नगरपालिका/ निगम आदि) से मृत्यु प्रमाण पत्र यथासमय प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

भवदीय / भवदीया,

(हस्ताक्षर)_____

आवेदक का नाम जो भविष्य निधि / उपदान के लिए नामित है _____

(बैंक के स्थायी कर्मचारी द्वारा अनुप्रमाण)

मैं एतदद्वार प्रमाणित करता / करती हूं कि श्री/ श्रीमती _____ द्वारा प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सभी प्रकार से सही है।

_____(हस्ताक्षर)

_____(अनुप्रमाणित करने वाले कर्मचारी के पूर्ण नाम व पदनाम)*

***टिप्पणी** : आवेदक कृपया यह सुनिश्चित करे कि अनुप्रमाणित करने वाला व्यक्ति बैंक का स्थायी कर्मचारी हो।